बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप संख्या 4/क्षे0स्था0 (आवंटन)- 04/2016- (4)/रा0 पटना-15, दिनांक-

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ,
पटना।

विषय- संविदा के आधार पर नियोजित स्व0 चंद्रभूषण सिंह, राजस्व कर्मचारी के मानदेय भुगतान हेतु मुख्य शीर्ष 2029 के तहत 2802 संविदा सेवाएँ मद में कुल-3,24,030.00 (तीन लाख चौबीस हजार तीस रू0) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

2. राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व-00-104- सरकारी सम्पदाओं का प्रबन्ध-0001 राजस्व प्रशासन पर व्यय 2802 संविदा सेवायें, माँग संख्या-40, विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. संविदा के आधार पर नियोजित स्व0 चंद्रभूषण सिंह, राजस्व कर्मचारी के पूर्व के वित्तीय वर्ष का बकाया मानदेय भुगतान हेतु जिला से प्राप्त माँग-पत्र सं0-1504/रा0, दिनांक-10.06.2017 के आधार पर कुल - **3,24,030.00 (तीन लाख चौबीस हजार तीस रू0)** मात्र की स्वीकृति दी जाती है। उक्त राशि विपत्र कोड-40-2029001040001 के अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरूद्ध संविदा पर कार्यरत स्व0 चंद्रभूषण सिंह, राजस्व कर्मचारी के लिए ही भुगतेय होगा। आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

4. इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाहर्त्ता, गया होंगे तथा राशि की निकासी सम्बन्धित जिले के कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

6. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2), दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी साथ ही समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार द्वारा एतत्संबंधी निर्गत परिपत्र/आदेश/निदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाय।

कृ0पृ0उ0

7. उक्त स्वीकृत राशि के व्यय के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–8025 दिनांक–21.05.2013, 2401, दिनांक–18.07.2007 एवं 1718, दिनांक–06.05.2010 में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि से संविदा के आधार पर नियोजित स्व0 चंद्रभूषण सिंह, राजस्व कर्मचारी के पारिश्रमिक का ही भुगतान किया जायेगा। इस राशि के व्यय के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय विवरणी निश्चित रूप से अगले माह की 7वीं तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. भुगतान के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संतुष्ट हो लें कि संविदा राशि की निर्धारित दर पर गणना नियमानुकूल की गयी है तथा राशि गणना के अनुरूप है साथ ही उक्त राशि का भुगतान स्व0 सिंह के वैधिक उतराधिकारी को हो।

10. राशि का विचलन किसी भी स्थिति में नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

फैक्स
ई–मेल

ज्ञापांक :– 599– (4)/रा0, पटना–15, दिनांक– 13/3/12

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/समाहर्त्ता गया/विभागीय प्रशाखा–5 (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/12
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।